

2-अभ 8 वकील प्रार्थना उपर है। वकील अप्राथमिक व स्वयं अप्राथमिक उपस्थित नहीं है। अतः प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। यस्तो बरस पत्रावली दि. 2-2-09 को पेश हो। न. न. आदेश आगामी पेशी तक खटारा जाता है।

(3)

2-19 वकील पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलाधी/रेसपोन्डेन्ट/प्रथी/अपार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। शीमान् वकील/अधिकारी समझ पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्य में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-2-19 को पेश हो।

(182) रीवर

5-2-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलाधी/रेसपोन्डेन्ट/प्रथी/अपार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। शीमान् वकील/अधिकारी समझ पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्य में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-3-19 को पेश हो।

(182) रीवर

5-3-19 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलाधी/रेसपोन्डेन्ट/प्रथी/अपार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। शीमान् वकील/अधिकारी समझ पर है/अवकाश पर है/अन्य कार्य में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2-4-19 को पेश हो।

(182) रीवर

2-4-2019 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व स्वयं प्रार्थी उपस्थित नहीं है। बार बार आवाज दिलाने के बाद भी प्रार्थी व वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः प्रार्थी का न. न. प्राणपत्र अदम दायरी न अदम पेशी में स्कारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल्लुमार होकर नम्बर से कम हो एवं कोर्ट वकील मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

रूप जिला कलेक्टर  
गंगापुर सिटी

